न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा पत्रावली तलब करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा पक्षकारान को उपस्थित कर राजीनामा वास्ते निर्णय हेतु पेश किया। जो शा० का० किया गया। चूंकी पत्रावली मे वादी जय पिता पन्नालाल द्वारा अपना हिस्सा मिलन पिता अशोक कुमार जैन निवासी अरनोद को बेचान कर दिया इसलिये स्वयं वादी भी उपस्थित रहा और वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10 CPC के तहत प्रार्थी मिलन पिता अशोक कुमार जैन को जय पिता कान्तीलाल के स्थान वादी की हैसीयत से पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया। क्योंकि पत्रावली मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थी मिलन पिता अशोक कुमार के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC को स्वीकार किया जा कर उसे वादी संख्या 1 की हैसीयत से पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया जो शा०का० किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा सभी पक्षकारान को उपस्थित कर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। राजीनामे के मुताबिक ग्राम अरनोद के आ.नं. 651 रकबा 0.52 हे० में से 0.48 हे० उत्तर दिशा का एवं आ.नं. 650 रकबा 0.07 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 हे० प्रति वादी पन्नालाल रुघनाथ पिता नाथूजी गायरी निवासी अरनोद के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार 651 रकबा 0.52 हे. में से 0.04 हे. दक्षिण दिशा का एवं आ.नं. 654 रकबा 0.94 हे. में से 0.28 हे. उत्तर दिशा का कुल किता 2 कुल 0.32 हे० अशोक पिता अम्बालाल जी कुमावत निवासी अरनोद के नाम दर्ज करने का निवेदन किया। इसी प्रकार आ.नं. 654 रकबा 0.94 हे. में से 0.33 हे० अशोक कुमार के हिस्से के बाद दक्षिण दिशा में स्थित भाग मध्य की आराजी वादी श्री कान्तीलाल पिता अम्बालाल कुमावत के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार आ.नं. 654 रकबा 0.94 हे. का शेष हिस्सा भाग 0.33 हे० जो कि उक्त आराजी के अन्त में भाग दक्षिण दिशा के अन्तिम छोर पर स्थित है। वादी मिलन जैन पिता अशोक कुमार जैन निवासी अरनोद के नाम दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। शेष पक्षकारान न० 5 6 7 द्वारा अपने हिस्से के	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्राप्त कर लिये है और बटवारे मे हिस्सा छोड दिया है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं० 4 निर्मला देवी द्वारा अपना हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष मे छोड देने से इन्हें बटवारे मे शामिल नही किया गया है। अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे बटवारा किया जा कर अन्तिम डिग्री जारी की जाने का वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सभी पक्षकारान राजीनामे से सहमत है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जा कर राजीनामा के मुताबिक बटवारा किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार [illegible] को राजीनामे के मुताबिक अन्तिम डिग्री बटवारे हेतु जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से खारिज हो	